3

संस्थागत व्यवस्था

वन-सहकारी सभाओं के प्रबन्ध सिन्द्धात

के.एफ.सी.एस. के गठन एवं परिचालन के लिए आधार सिद्धान्तों व नियमों का वर्णन संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है ।

उद्देश्य

जब यह परियोजना आरम्भ हुई तो के.एफ.सी.एस. के उद्देश्य निम्नलिखित थे ।

- कार्य-योजना में दर्शाए गए ढंग से सभा के वनों में वनारोपण, वनों में सुधार, उनकी रक्षा और प्रबन्ध करना, जिसमें विशेष उल्लेख - भूक्षरण, रोकने और वन-उत्पादन को सदस्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त करने का था ।
- सहकारिता सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं के ज्ञान का प्रसार करना -और-
- अन्य गतिविधियों को आरम्भ करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरक हों ।

मौलिक शर्ते

एक सहकारी सभा का गठन तभी हो सकता है जबकि 75 प्रतिशत खेवटदार (भूमि मालिक जिनके वनों में अधिकार हों) एवं अधिग्रहण की जाने वाली राजस्व सम्पदा के मौजा व टीकों के काबिज़ कास्तकार इसके गठन के लिए सहमत हों । सहकारी सभाओं को पंजाब सहकारी सभा अधिनियम II (1912) और तदनन्तर पंजाब सहकारी सभा अधिनियम 1954 के अन्तर्गत पंजीकार (सहकारी सभाएं) के साथ पंजीकृत करवाया जाता था और अब

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम 1968 के नियमों के अन्तर्गत नियन्त्रित होती हैं ।

सदस्यता

कोई भी, सभा के कार्यक्षेत्र का निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष हों और उसके के.एफ.सी.एस. द्वारा प्रशासित वनों में अधिकार हों, एक रूपया फीस देकर के.एफ.सी.एस. की सामान्य सभा का सदस्य बन सकता था । उसे एक अनुबन्ध पत्र (परिशिष्ट II) भरना होता था, जिसके द्वारा अपने आपको सभा की कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध करने के साथ-साथ वन पर अपने व्यक्तिगत अधिकारों को सभा के अधीन करना होता था । सदस्यता, किसी दूसरी जगह बस जाने पर, बेइमानी करने पर, वनों पर अधिकार न रहने पर, अपनी मर्जी से के.एफ.सी.एस. से नाता तोड़ लेने पर समाप्त की जा सकती थी ।

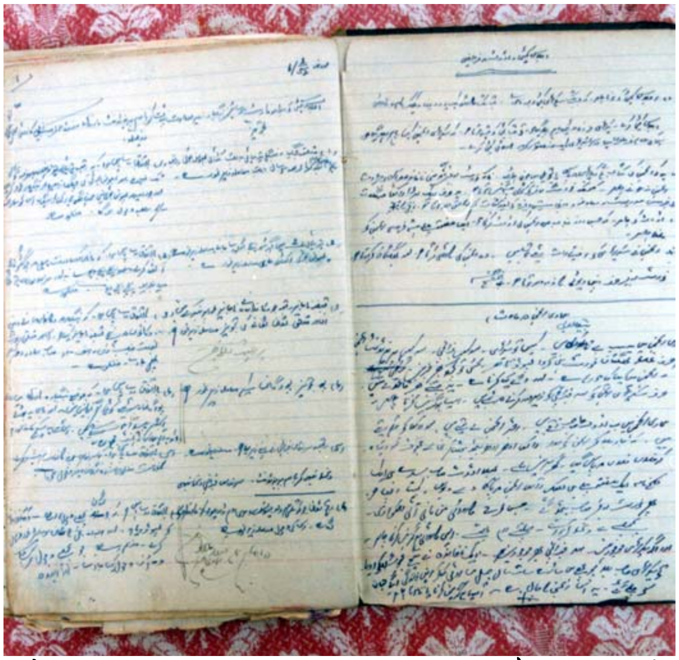

के.एफ.सी.एस. मरण्डा भंगियार की आरम्भिक बैठक की ऊर्दू में कार्यवाही

सामान्य सभा

सामान्य सभा की बैठक वर्ष में प्रबन्ध समिति के निर्देश पर सचिव द्वारा आमतौर पर एक बार बुलाई जाती थी । विशेष स्थिति में यथा आन्तरिक कलह कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र द्वारा प्रबन्ध समिति को सामान्य सभा की बैठक बुलाने का आग्रह किया जा सकता था । और इसके विफल होने पर बैठक बुलाने का मामला हस्ताक्षरी वर्ग पंजीकार (सहकारी सभाए) के साथ उठा सकता था । ऐसी स्थिति में पंजीकार बैठक बुला सकता था, सामान्य

सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों के एक तिहाई की उपस्थिति आवश्यक थी । ऐसे मामले, जिनका उपनियमों में विशेष हवाला न हो, वह सब बहुमत द्वारा निर्णीत होते थे । प्रतिनिधि मतदान की आज्ञा नहीं थी ।

प्रशासनिक मामलों में, लाभ वितरण करने, सदस्यों की भर्ती व निष्कासन करने, कार्य योजना अपनाने, उपनियमों में संशोधन करने और प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित सदस्यों के अंशदान का अनुमोदन करने, का अन्तिम अधिकार सामान्य सभा का ही होता था । सामान्य सभा की बैठक में अधिकतम ऋण सीमा निश्चित की जा सकती थी अर्थात् वह सीमा जहां तक सहकारी सभा – सदस्यों व गैर सदस्यों से धरोहर राशि या ऋण ले सकती थी । (पंजीकार के निर्देशों के अनुसार)

प्रबन्ध समिति

प्रबन्ध समिति में सात से अधिक व्यक्ति नहीं होते थे, जिसमें प्रधान, उपप्रधान व कोषाध्यक्ष शामिल होते थे और वे सब अवैतनिक हैसियत में काम करते थे । सचिव प्रबन्ध समिति का कार्यकारी मुखिया होता था और उसे वर्ष के अन्त में एकमुश्त राशि आमतौर पर दी जाती थी । प्रबन्ध समिति का चुनाव वर्ष 1971 तक पंजाब सहकारी सभा अधिनियम 1912 के अधीन वर्ष में एक बार सामान्य सभा की विशेष बैठक में किया जाता था और बाद में हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम 1968 के अधीन चुनाव दो वर्ष में एक बार होने लगा । इस बैठक में प्रत्येक सदस्य को बोलने, मतदान करने और ग्राम वनों के प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने का बराबर अधिकार होता था ।

वन सम्बन्धी अपराध करने वाले सदस्यों पर किए जाने वाले जुर्मानों की सीमा भी इसी बैठक में तय की जाती थी । प्रबन्ध समिति को राखा की नियुक्ति और सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति व उनके वेतन निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त था । प्रशासनिक व वित्तीय पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए भी प्रबन्ध समिति सक्षम थी । वन अधिकारी, लोगों द्वारा सामान्य सभा की बैठक में चयनित होता था और पंजीकार सहकारी विभाग द्वारा इसकी नियुक्ति की पुष्टि की जाती थी । के.एफ.सी.एस. के गठन, लेखा जांच

व आम जानकारियों सम्बन्धी सारे काम की जिम्मेवारी सहकारी विभाग की होती थी और वन विभाग तकनीकी मार्ग दर्शन व नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होता था ।

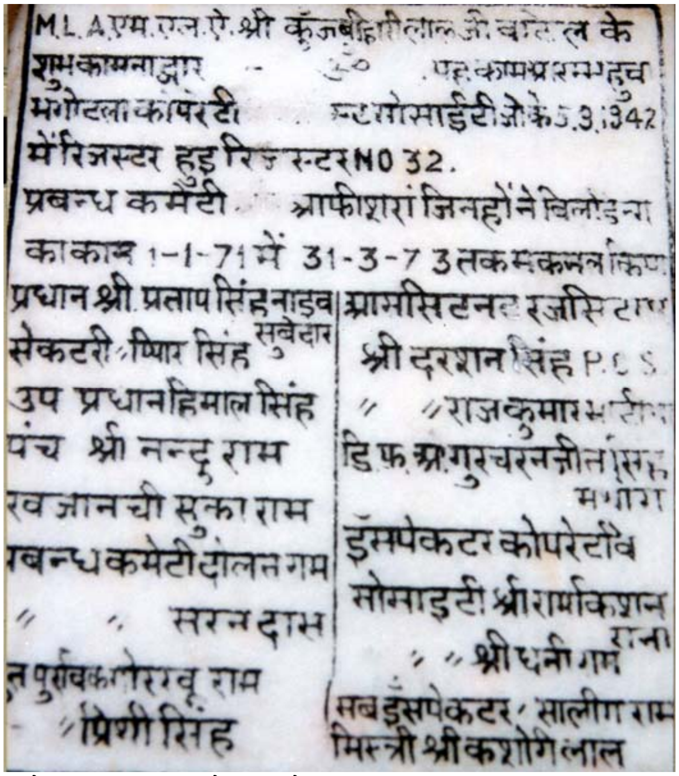

के.एफ.सी.एस. भगोटिया के भवन की एक दीवार पर लगी पत्थर की पट्टियों पर प्रबन्ध समिति वर्ष 1942 के पदाधिकारियों की सूची दर्ज है

उपनियमों में यह प्रावधान था कि के.एफ.सी.एस. के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले क्षेत्रों को सुधार के बाद व कृषि योग्य घोषित किए जाने के बाद भी मालिकों को न सौपा जाएं । जब तक कि के.एफ.सी.एस. अपने सामान्य सभा की बैठक में इन्हें मुक्त करने का विधिवत प्रस्ताव पारित न करें और सामान्य सभा द्वारा निर्धारित भूमि के सुधार किए जाने की लागत मालिकों से वसूल न की जाए ।

वित्तीय पहलू

कार्य योजना तैयार करने, ग्रामीण वन का सीमाङ्कन करने और सरकारी वन विभाग कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण पर होने वाली लागत सरकार वहन करती थी । अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर सभाएं भुगतान करने वाली या न करने वाली हो सकती थी । भुगतान करने वाली सभाओं को वह भूमि प्राप्त होती थी जिसमें पहले से ही वन होते थे, और इस तरह उन्हें आरम्भ से ही आय होने लगती थी । इन सभाओं में काम और कर्मचारियों पर आने वाली लागत सभा निधि में से दी जाती थी । सभाओं को अपने लेखों की जांच

प्रतिवर्ष सहकारिता विभाग से करवानी होती थी । एक सभा की आय के विविध स्रोत हो सकते थे ।

विविध स्रोतों से शुद्ध आय यह नाम उस आय को दिया गया जो विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय में से सभी भुगतान करने के बाद बचे । इसमें निम्न प्रकार की आय तत्व शामिल थे ।

- वह आय जिस पर उन मौजों, जिनसे के.एफ.सी.एस. संघटित होती हो की स्वामित्व संस्था का एकमात्र व परिभाषित अधिकार हो । जैसे घास, फल, खानों व घराटों[9] से होने वाली आय । के.एफ.सी.एस. इस आय को संग्रहीत कर सकती थी परन्तु वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज अधिकारों के अनुसार यह खेवटदारों में बांटनी पड़ती थी ।
- निजी मलकीयत की भूमि से होने वाली आय जिसका प्रबन्धन के.एफ.सी.एस. करती हो । वास्तविक खर्चों को काटकर के.एफ.सी.एस. को इसे मालिकों को देना पड़ता था ।
- सरकार से मिलने वाला सहायक अनुदान ।

पहली दो मद्दों का जोड़, बांटी जाने वाली शुद्ध आय होती थी, इस आय में से कुछ आबंटन अनिवार्य थे । इनमें शामिल थे 1 प्रतिशत आरक्षित निधि, 10 प्रतिशत वन सुधार निधि, 9 प्रतिशत परोपकारी उद्देश्यों के लिए (पुव्यार्थ निधि अधिनियम 1890 धारा-2 में परिभाषित) या के.एफ.सी.एस. के साधारण हितैषी निधि के लिए, 5 प्रतिशत तक सहकारी शिक्षा निधि के लिए (वास्तविक राशि और निर्देश कि राशि कहां खर्च करनी है पंजीकार द्वारा बताया जाता था) और कुछ अंश भवन निधि स्थापित करने के लिए या और किसी निधि के लिए जो के.एफ.सी.एस. द्वारा वांछित हो । उपरोक्त आबंटन सभा के लेखा-खातों में दर्ज करना पड़ता था ।

शुद्ध सरकारी अनुदान वह राशि होती थी जो प्रत्येक के.एफ.सी.एस. को कार्य योजना के अनुसार चालू खर्चों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी जाती थी । इस निधि से सभा को जमींदारी हिस्सा (पेड़ों के कटान व बिक्री से प्राप्त राजस्व का एक चौथाई भाग यानि हक चौहारम) सदस्य खेवटदारों को देना

पड़ता था । आमतौर पर यह छोटी राशियां होती थीं और इन्हें खेवटदारों को नगद देने के बजाए उनकी तरफ से सरकार को दिए जाने वाले लगान के रूप में उनकी ओर से के.एफ.सी.एस. द्वारा अदा की जाती थीं । गांव का पटवारी और नम्बरदार (पारम्परिक राजस्व संग्रहकर्त्ता) को कुल राजस्व का 1/16वां भाग प्राप्त होता था । पहले बन्दोवस्त नियमों के अनुसार हकदार व्यक्तियों को दी जाने वाली राशियों को वन मण्डल अधिकारी को प्रमाणित करना पड़ता था । तब राजस्व विभाग चैक तैयार करके के.एफ.सी.एस. को भेज देता था । विभिन्न देयताओं का भुगतान करने के बाद बची राशि शुद्ध सरकारी अनुदान होती था और यहीं के.एफ.सी.एस. की वास्तविक आय होती थी ।

अन्तिम आय - अन्तिम आय उपरोक्त कटौतियां और के.एफ.सी.एस. के वर्ष भर के चालू खर्चों की कटौती के बाद बची राशि होती थी । यह आय सदस्यों को उनके वनों पर अधिकारों के अनुपात में बांट दी जाती ।

कार्य-योजनाएं

के.एफ.सी.एस. को पंजीकृत करने से पूर्व के.एफ.सी.एस. के सदस्यों से परामर्श करके वन-विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा कार्य-योजना बनाई जाती थी । इसके लिए औपचारिक सहमति सामान्य बैठक में ली जाती और इसे के.एफ.सी.एस. में दर्ज कर लिया जाता था । सभा तभी पंजीकृत की जा सकती थी जब सरकार की ओर से मुख्य अरण्यपाल से कार्य योजना की स्वीकृति मिल जाती । इसकी कार्य-अवधि समाप्त होने पर, वन विभाग द्वारा फिर के.एफ.सी.एस. के सदस्यों से परामर्श करके कार्य योजना को संशोधित किया जाता था । कार्य-योजना में वनों के प्रबन्धन के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध होता था । यह विवरण-विशेषकर चारागाहों के भागों को बन्द करने, (घास की उपज लेने के लिए) भूसंरक्षण के लिए, बन्द क्षेत्रों अथवा चरान के लिए छोड़े गए क्षेत्रों में चारा देने वाले एवं आर्थिक मूल्य वाले पेड़ों के रोपण से सम्बन्धित होता था ।

के.एफ.सी.एस. योजना का परिचय व भूमिका

प्रारम्भ में तो लोग के.एफ.सी.एस. योजना के बारे में शंकालु थे – पर राजनेताओं के हस्तक्षेप से और जनता दरबारों व इस कार्य के लिए नियुक्त वन कर्मचारियों के माध्यम से योजना के बारे में जानकारी के "विस्तृत प्रसार द्वारा वन प्रबन्धन को लोकतान्त्रिक बनाने का प्रयोग"[10] लोगों तक पहुंचाना सम्भव हुआ ।

अरला-सलोह वर्तमान राखा बाएं खड़ा है का पहला राखा (दाएं) जिसकी आयु 70 वर्ष है

चयनित गांवों में इस योजना को पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने वाले जिला के महत्वपूर्ण, प्रशासनिक, राजस्व विभाग, वन विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के बारे में जिक्र मिलता है ।

उत्तरी-वृत के अरण्यपाल ने के.एफ.सी.एस. के गठन से सम्बन्धित विस्तृत प्रक्रियाओं को अधिसूचित किया[11] । कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण इस योजना का कार्यक्षेत्र व्यास नदी के उत्तर में पड़ने वाले कांगड़ा के भागों तक ही सीमित रखा गया । यद्यपि मौलिक आर्थिक इकाई मौजा मानी गई थी, पर

विशेष प्रशासनिक समस्याओं के कारण एक या एक से अधिक टीकों को मिला कर भी व्यवहारिक इकाई बनाई जा सकती थी । इकाई चुनने में वन विभाग द्वारा उन गांवों को, प्राथमिकता दी जाती थी, जिनमें अप्रबन्धित व भूक्षरण एवं अन्धाधुन्ध कटान से ग्रस्त बड़े-बड़े व साथ-साथ जुड़े क्षेत्र हों । उन गांवों को भी के.एफ.सी.एस. की स्थापना के लिए बेहतर समझा जाता था जिनमें कोई सहकारी सभा पहले से ही कार्यरत हो । वन विभाग का यह मत था कि "टीकों और बरतनदारों की संख्या जितनी कम होगी - प्रबन्धन कार्य उतना ही आसान होगा ।" इस प्रयोग की क्षमता को सिद्ध करने के लिए सुगम पहुंच वाले गांव पहले चुने जाते थे ।

तालिक I में दिया गया घटना-अध्ययन के.एफ.सी.एस. के गठन की वास्तविकता को समझाने में सहायक है । भगोटला सहकारी सभा के गठन का इतिहास - के.एफ.सी.एस. की गठन प्रक्रिया के दौरान गांव में; जाति पर आधारित या अन्य सामाजिक अर्न्तप्रवाहों पर प्रकाश डालता है ।

के.एफ.सी.एस. भगोटला द्वारा अपने कोष से बनवाया प्राथमिक पाठशाला का भवन

तालिका I: भगोटला वन-सहकारी सभा का गठन

भगोटला गांव पालमपुर तहसील में न्यूगल खडड् के दाएं किनारे पर पालमपुर नगर से 6 किलोमीटर दूर स्थित है । भगोटला मौजा के अन्तर्गत 156.4 है. भूमि आती थी और इसमें उत्तरी सीमा के साथ-साथ फैला हुआ 68. 4 है. इक्टठा वन क्षेत्र भी शामिल था ।

वन-माफी जंगल, 1860 में विशेष 10 गांव समुदायों को, उनकी भूमि चाय बागानों के लिए अधिगृहीत करने के बदले रियायत के रूप में दिए गए वन क्षेत्र थे । ली गई भूमि के बदले जमींदारों को अवर्गीकृत वन का बराबर क्षेत्र दिया गया जिस पर उनका लगभग एक मात्र अधिकार था क्योंकि इस क्षेत्र को बन्द करने का अधिकार वन विभाग ने त्याग दिया था । केवल जिलाधीश ही इन वन माफी क्षेत्रों के उपयोग पर कुछ सीमा तक नियन्त्रण रख सकता था । वर्ष 1930 तक वन विभाग ने यह अनुभव किया कि जमींदार इन वनों के संरक्षण में सक्षम नहीं थे और यह कि इन वनों का स्तर गिर रहा था । चील के पेड़ों से बिरोजा निकालने का काम ठेकेदारों को सौंपने की प्रथा सबसे बड़ी समस्या थी । इसे रोकने के लिए जिलाधीश ने सन् 1942 में एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा भगोटला के जमींदारों को बिरोजा निकालने का काम ठेकेदारों को सौंपने पर रोक लगा दी और उसके लिए आधार यह था कि उनके द्वारा यह काम अवैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा था ।

तालिका 2: भगोटला वन भूमि का वर्गीकरण

किस्म	वर्ग	क्षेत्रफल है. में
वन-सरकार	अवर्गीकृत वन	38.4
शामलात टीका	वनमाफी	16.4
	निजी बन्जर भूमि	12.4
	गैर-मुमकिन	1.6
	कूल योग	68.4

भगोटला के.एफ.सी.एस. के गठन के समय वन-विभाग के मन में उपरोक्त प्रसंग पहले से था । उन्होंने भगोटला[12] को इसलिए चयनित किया क्योंकि यह सबसे छोटा वन-माफी गांव समूह था और दूसरे गांवों जिनमें के.एफ.सी.एस. का गठन अभी किया जाना था, वहां इसे एक नमूने के बतौर प्रयोग किया जाना सुगम था । ऐसा प्रतीत होता है कि वन माफियों के प्रबन्धन में दखलन्दाजी के लिए

जिलाधीश का सीमित अख़्तयार और वन विभाग का शून्य अधिकार होना ही, वन-माफी गांवों को के.एफ.सी.एस. योजना के अन्तर्गत लाने के सरकार के निर्णय का कारण बना । इस निर्णय का आशय यह था कि वन माफियों पर के.एफ.सी.एस. के नियम लागू हों और वन विभाग की सक्रिय दखलन्दाज़ी सम्भव हो ।

सहकारिता विभाग के उप-निरीक्षक द्वारा आरम्भिक परिचायक बैठकें आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप 15 अक्तूबर 1941 को भगोटला के जमींदारों द्वारा एक प्रार्थना पत्र तैयार किया गया जिसमें उनके गांव में के.एफ.सी.एस. के गठन का आवेदन किया गया था । दूसरे चरण में कार्य-योजना अधिकारी ने भगोटला का दौरा किया और भगोटला के सभी वनों को के.एफ.सी.एस. के अन्तर्गत लाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जिसमें वनों को उपयोग के लिए बन्द करने के सुझाव व निर्देश निहित थे । गांव के निवासियों ने वनों को बन्द करने का विरोध किया क्योंकि इसमें कम से कम आधे चरान के लिए खुले थे । पर वन विभाग बन्द करने के लिए बजिद् था । उनको विश्वास था कि यह प्रावधान वनों के अच्छे प्रबन्ध के लिए महत्वपूर्ण है । नम्बरदार व उसके भाई को छोड़ कर भगोटला के खेवटदार निवासी के.एफ.सी.एस. के औपचारिक सदस्य बनने के लिए अपने वनों पर अधिकार को छोड़ने के लिए पूर्वकार्यवाही के रूप में अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मुकर गए । अत: सहकारिता विभाग ने के.एफ.सी.एस. को विघटित कर दिया ।

गांव में, उस समय के नम्बरदार की भूमिका को समझना आवश्यक है । नम्बरदार पहले और अब भी राजस्व संग्रह के लिए गांव में परम्परागत कानूनी संस्था हैं ।

एक निश्चित भागांश के बदले वह सरकार की ओर से राजस्व संग्रह का काम करता है । नम्बरदार बनने का अवसर गांव के शक्तिशाली ऊंची जाति के लोगों के प्रभाव क्षेत्र में आता था । यह पद पैतृक था और बाप से बेटों को स्वत: प्राप्त हो जाता था । नम्बरदार का परिवार प्राय: गांव का शक्तिशाली परिवार होता था । राजस्व संग्रह का कार्य, दुर्लभ नगद पैसे और भूमि के लिखित अभिलेखों के ज्ञान तक उनकी पहुंच कायम करता था । जबकि आम

अनपढ़ किसान उन भूमि अभिलेखों की समझ नहीं रखता था, इसी कारण नम्बरदार बड़े बड़े भूखण्डों के मालिक बन गए । उनकी तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीपता ने उन्हें ऐसी शक्तिशाली स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया था कि सरकारी योजनाओं को वे अपने हित में परिभाषित व उपयुक्त कर सकते थे । इस तरह भगोटला की आधी, काश्त योग्य व शामलात भूमि नम्बरदार की मलकीयत में थी । नम्बरदार का परिवार, गांव के लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए सरकार का सशक्त माध्यम था ।

सहकारिता विभाग के उप-निरीक्षक ने बारीकी से 14 है. भूमि, जिसे के. एफ.सी.एस. द्वारा प्रबन्धित किया जाना था और जिसमें चरान बन्द करने का प्रस्ताव था, उससे सम्बन्धित अधिकारों के अभिलेखों की जांच की । उसने पाया कि नम्बरदार व उसके भाई के पास आधी शामलात भूमि के अधिकारों पर स्वामित्व था । अभी तक अनिवासी खेवटदारों की अनदेखी की गई थी । उनमें से 15 के हिस्से की भूमि और नम्बरदार व उसके भाई की भूमि को मिलाकर एक समूह गठित किया गया जिसका स्वामित्व 2/3 शामलात भूमि पर था । पंजाब के अरण्यपाल व निदेशक भूसंरक्षण विभाग दोनों ने भगोटला में विरोधियों को के.एफ.सी.एस. के अन्तर्गत लाने के लिए बैठक की । अरण्यपाल बन्द करने वाले क्षेत्रों के आकार को छोटा-बड़ा करने के लिए तैयार था पर निवासी खेवटदार इसके लिए तैयार न थे और हर कीमत पर बन्द रकबों को समाप्त करना चाहते थे । वन-अधिनियम की धारा 38 के अनुसार-नये समूह में 2/3 सदस्य होने से बहुमत था और वह तकनीकी तौर पर रकबे बन्द करने के लिए आवश्यक सहमति देने में सक्षम था । इस तरह रकबे बन्द करने के काम को निवासी खेवटदारों के बहुमत के बावजूद, अनिवासी खेवटदारों को रजामन्द करके कार्यान्वित कर लिया गया ।

भगोटला वन सहकारी सभा की अगली बैठक जिसमें 17 लोग हाज़िर थे और 11 खेवटदार अनुपस्थित रहे, गठित कर ली गई । नम्बरदार को के.एफ.सी. एस. का सचिव चुन लिया गया और इस पद पर वह 1950 तक बना रहा । 28 मार्च को निम्नलिखित भू-विभाजन के साथ, कार्य-योजना को अपना लिया गया ।

शैलटर-वुड चील वन वृत	=	40 हैक्टर जिसमें 10 हैक्टर बन्द
घास व चारा वृत	=	12.8 हैक्टर सारा हैक्टर बन्द
चारागाह वृत	=	16 हैक्टर सारा बन्द

इस कार्य-योजना की स्वीकृति के बाद 5 सितम्बर 1942 को यह सभा पंजीकृत कर दी गई और 2 अक्तूबर 1943 को प्रबन्ध करने के लिए भूमि भी के.एफ.सी.एस. को स्थानान्तरित कर दी गई । के.एफ.सी.एस. के गठन का अर्थ था कि अब जिलाधीश द्वारा बिरोजा निकासी के लिए जम्मीदारों पर लगाया गया प्रतिबन्ध बेअसर हो गया[13] । अब जमींदार के.एफ.सी.एस. के माध्यम से चील से बिरोजा निकालने का काम वन-मण्डल अधिकारी के पर्यवेक्षण में कर सकते थे । 1942 में के.एफ.सी.एस. ने वन ठेकेदार द्वारा करवाई गई बिरोजा निकासी से 2000 रूपये की आय प्राप्त की । बेरोक टोक चराई बन्द करने के परिणामस्वरूप बन्द रकबों में घास उगनी आरम्भ हुई और उसकी नीलामी से भी सभा को आमदन प्राप्त होने लगी । के.एफ.सी.एस. के माध्यम से व्यक्तिगत आय होने की सम्भावना से भी लगता है कि निवासी खेवटदार के.एफ.सी.एस. के फायदों से कायल हुए । 3 नवम्बर 1942 को सहायक पंजीकार (सहकारी सभाएं) धर्मशाला की अध्यक्षता में सभा की बैठक हुई जिसमें चार विरोधी गुटों के नेताओं ने भी के.एफ.सी.एस. की सदस्यता स्वीकार कर ली[14] ।

वर्ष 1943 तक सदस्यों की संख्या बढ़ कर 24 हो गई और इसके बाद लगातार बढ़कर वर्ष 1945 में 41 और 1971 में 103 हो गई । के.एफ.सी.एस. ने वार्षिक लगान, अपने सदस्यों की तरफ से, वन विभाग से प्राप्त होने वाले जमींदारी हिस्से में से देना जारी रखा । के.एफ.सी.एस. ने अपनी जन हितैषी निधि में से दो कुएं निर्माण व मुरम्मत, एक स्कूल भवन निर्माण, प्रति वर्ष न्युग्गल खडड् के पुल की मुरम्मत पर भी खर्च किए । 9603 रूपये व्यय करके सभा ने अपना भवन भी बनाया ।

के.एफ.सी.एस. द्वारा प्रबन्धित क्षेत्रों में वन पुर्नजीवन और वन रोपण की सफलता को वन-विभाग और प्रशासन के अधिकारियों जिन्होंने इन क्षेत्रों का दौरा किया, नें खूब सराहा जो लिखित रूप में उपलब्ध है ।

तथापि लोगों के सभा पर स्वामित्व, या इसके लोकतान्त्रिक संस्थाओं के ढंग से काम करने की कोई विशेष स्म्भावना नहीं दिखती थी । लम्बरदार के स्वेच्छाचारी प्रशासनिक व्यवहार, लेखाओं की सुस्पष्टता के अभाव और सदस्यों का लाभ-वितरण न किए जाने के बारे में कई शिकायतें की गई । सभा के सचिव होने के नाते उसने एक अनपढ़ व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना दिया और लेखाओं का प्रबन्ध और नियन्त्रण अपने हाथ में रखा ।

सहकारिता विभाग लम्बरदार को गांव का आदर्श व प्रतिबद्ध वाला नेता समझता था और उसे 72 रूपये का नगद इनाम भी देता था । पर उसका निरंकुश व्यवहार सदस्यों को स्वीकार नहीं था । उन्होंने इसकी शिकायत सहायक पंजीकार से की । अखिरकार 1948 में सहायक पंजीकार ने 1000 रूपये के गबन का उसे दोषी पाकर पुलिस थाने में मुकद्दमा दायर कर दिया । न्यायालय द्वारा उसे 500 रूपये जुर्माना किया गया और उसे न दे पाने की अवस्था में चार मास की कैद की सज़ा सुनाई । के.एफ.सी.एस. ने लम्बरदार को निकाल दिया और इस तरह सभा के प्रबन्ध के लिए नया नेतृत्व सामने आया । अब हर दो वर्ष में एक बार के.एफ.सी.एस. चुनाव करवाती है और लेखा जांच भी प्रति वर्ष करवाया जाता है । 1973 से सदस्य एकमत से वन विभाग द्वारा भ्रान्ति की अवस्था पैदा करने के लिए आलोचना करते आ रहे हैं । फिर भी वह के.एफ.सी.एस. के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्धता बनाए हुए, इन्हीं के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं ।